



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No 25 of 2009)
www.ggu.ac.in [E-mail ID - foggvbsp@gmail.com] Ph. No. 07752 - 260036

क्र. 5.1.1.1/वित्त/15

बिलासपुर दिनांक: 22/09/15

॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 83/बै.प्र./कार्यपरिषद/2015, बिलासपुर दिनांक 22/09/2015 के अनुपालन में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 24 सहपठित परिनियम 17 (1) (iv) एवं धारा 11 (3) में निहित शक्तियों के तहत कुलपति महोदया द्वारा वित्त समिति के सदस्य प्रो. एस.एस.सिंह, के स्थान पर शेष कार्यवाधि तक के लिए प्रो. जे. एस. दांगी, आचार्य, अधिष्ठाता अध्ययनशाला-प्राकृतिक संसाधन को वित्त समिति का सदस्य नामित किया गया है।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर दिनांक: 22/09/15

पृ.क्र. 5.1.1.2/वित्त/15

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर माननीय कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. समस्त सम्माननीय सदस्य, वित्त समिति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रो. जे.एस. दांगी, आचार्य, अधिष्ठाता अध्ययनशाला-प्राकृतिक संसाधन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रो. एस.एस. सिंह, आचार्य, वानिकी विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं वेबसाईट में यथा स्थान पर अपलोड किये जाने संबंधी कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय प्रति।

06/11/15
वित्ताधिकारी (प्रभारी)